तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा संख्या :– 175/2022 फूलचंद बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31-10-22	तहसीलदार झुंझुनूं से पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/2612 दिनांक 31.08.2022 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम/कस्बा झुंझुनूं के हाल खाता संख्या 137 स्थित है जिसमें प्रार्थी का 426/10225 वां हिस्सा है। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली पानी आदि के बिल में प्रार्थी का नाम फूलाराम सैनी पुत्र भंवरलाल दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में भूलवश नाम फूलाराम सैनी की बजाय फूलचंद गलत दर्ज हो गया है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार झुन्झुनू की रिपोर्ट अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 31.08.22 के अनुसार फूलचंद के स्थान पर फूलाराम सैनी दर्ज किये जाने की अभिशंषा की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम/कस्बा झुंझुनूं के हाल खाता संख्या 137 में प्रार्थी का नाम फूलचंद के स्थान पर फूलाराम सैनी दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	